


(a)

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, राँची।
(सामान्य-शाखा)
आदेश

इस कार्यालय से दिनांक-^{27.7.}08.03.2017 को श्री आर्यन कुमार झा के नाम से ऑनलाईन आवासीय प्रमाण पत्र संख्या JHRC/2017/827370, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-3198 दिनांक-18.04.2016 की कंडिका-2 (iv) की शर्तों को पूरा नहीं किये जाने के कारण रद्द किया जाता है।

यदि प्रमाण पत्र की प्रति निकाली जा चुकी है तो इसका प्रयोग किसी भी कार्य हेतु प्रतिबंधित किया जाता है।



अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, राँची।

ज्ञापांक-1788 (11) दिनांक-17-8-17

प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि इस आदेश को जिला के website पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- श्री आर्यन कुमार झा, पिता संतोष कुमार झा, सा0-अयोध्यापुरी रोड नं0-4, लोअर चुटिया, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, अरगोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि आदेश का तामिला अपने स्तर से आवेदक को कराना सुनिश्चित करेंगे।


अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, राँची।

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, राँची।
(सामान्य-शाखा)

2 कोपे

आदेश

इस कार्यालय से दिनांक-24.05.2017 को श्री सार्थक शिखर के नाम से निर्गत ऑनलाईन जाति प्रमाण पत्र संख्या JHCC/2017/473943, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-6763 दिनांक-05.08.2017 के कंडिका-3 (iii) के अनुशरण में भू-अभिलेख समर्पित नहीं किये जाने के कारण रद्द किया जाता है।

यदि प्रमाण पत्र की प्रति निकाली जा चुकी है तो इसका प्रयोग किसी भी कार्य हेतु प्रतिबंधित किया जाता है।

ह0-


अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, राँची।

ज्ञापांक 1762 (11) दिनांक 9-8-17

प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि इस आदेश को जिला के website पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- श्री सार्थक शिखर, 303 दिव्या अपार्टमेन्ट नॉर्थ ऑफिस पाड़ा, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, अरगोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि आदेश का तामिला अपने स्तर से आवेदक को कराना सुनिश्चित करेंगे।


अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, राँची।

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, राँची।
(सामान्य-शाखा)
आदेश

इस कार्यालय से दिनांक- 03.06.2017 को निर्गत ऑनलाईन आय प्रमाण पत्र संख्या JHIC/2017/98981 में फर्जी आधार कार्ड संलग्न किये जाने के कारण Online निरस्त किया जाता है। यदि प्रमाण पत्र की प्रति निकाली जा चुकी है तो इसका प्रयोग किसी भी कार्य हेतु प्रतिबंधित किया जाता है।

ह0-

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, राँची।

ज्ञापांक- 1723-11 दिनांक- 4-8-17

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि इस आदेश को जिला के website पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- श्री शनि देवल कुमार, सा0-गिंजो ठाकुरगांव, बुढ़मू, जिला-राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, बुढ़मू को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि आदेश का तामिला अपने स्तर से आवेदक को कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, राँची।

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, राँची।
(सामान्य-शाखा)

आदेश

इस कार्यालय से दिनांक-23.07.2017 को निर्गत ऑनलाईन आवासीय प्रमाण पत्र संख्या JHRC/2017/805667, में फर्जी वंशावली संलग्न किये जाने के कारण Online निरस्त किया जाता है। यदि प्रमाण पत्र की प्रति निकाली जा चुकी है तो इसका प्रयोग किसी भी कार्य हेतु प्रतिबंधित किया जाता है।

ह0-

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, राँची।

ज्ञापांक- 1722 (11) दिनांक- 4-8-17

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि इस आदेश को जिला के website पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- सुश्री शबनम परवीन, पिता मो0 कमरुद्दीन, सा0-निजामनगर, हिन्दपीढ़ी, जिला-राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, शहर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि आदेश का तामिला अपने स्तर से आवेदक को कराना सुनिश्चित करेंगे।


अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, राँची।